राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 88/2023

हेमन्त स्वरूप माथुर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, अजमेर।
4. जिला प्रमुख, जिला परिषद, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.01.2023
आदेश की दिनांक : 25.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ई.जी.एस. एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी, माडा, अजमेर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 29.12.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), एच.सी.एम. रीपा, बीकानेर किया गया है तथा आदेश दिनांक 02.01.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी के समस्त कार्यभार आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को संपादित करने के आदेश किए गए हैं। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए एच.सी.एम. रीपा, बीकानेर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 30.11.2022 जिसके द्वारा अपीलार्थी

को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया, को अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई, जिसमें अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 20.12.2022 पारित किया गया। आलोच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में दर्शाते हुए एच.सी.एम. रीपा, बीकानेर पदस्थापित किया गया, जबकि अपीलार्थी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ई.जी.एस. एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी, माडा, अजमेर में कार्य कर रहा है। इस प्रकार आलोच्य आदेश प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना विवेक का प्रयोग किए जारी किया गया है, जो नियमों के विरूद्ध है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान पर दिनांक 24.07.2022 को किया गया था और लगभग 5 माह की अल्पावधि में पुनः स्थानान्तरण कर दिया गया, जो स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान यह कथन किया है कि अपीलार्थी आलोच्य आदेश दिनांक 29.12.2022 की अनुपालना में दिनांक 16.01.2023 को नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर चुका है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 29.12.2022 एवं 02.01.2023 (अनुलग्नक–1 व 2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश वैद्य, सही व विधि सम्मत है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। उसका स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार नये सिरे से किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ई.जी.एस. एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी, माडा, अजमेर में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 29.12.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण अतिरिक्त निदेशक,

एच.सी.एम. रीपा, बीकानेर किए जाने, को चुनौती दिए जाने का प्रश्न है, कार्यग्रहण पत्र दिनांक 16.01.2023 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी आलोच्य आदेश की अनुपालना में नवीन पदस्थापन स्थान पर एच.सी.एम. रीपा, बीकानेर में अतिरिक्त निदेशक के पद पर दिनांक 16.01.2023 को मध्यान्ह् पूर्व कार्यग्रहण कर चुका है। अतः इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश की अनुपालना की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील निष्फल (Infructuous) किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा निष्फल की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य